

आदेश सं०—.....

दिनांक—

अपीलवाद संख्या 01 / 2017

न्याय निर्णायक पदाधिकारी, गया बनाम मेसर्स होटल बोधगया गौतम, प्रो० श्री धीरेन्द्र कुमार गौतम,
S/O स्व० पन्नालाल सिन्हा, दोमुहान, बोधगया, गया, बिहार

आदेश

- श्री अशोक कुमार सिन्हा, खाद्य संरक्षा अधिकारी, गया, द्वारा दिनांक 23.11.2016 को मेसर्स होटल बोधगया गौतम, प्रो० श्री धीरेन्द्र कुमार गौतम, S/O स्व० पन्नालाल सिन्हा, दोमुहान, बोधगया, गया, बिहार के प्रतिष्ठान से आटा का नमूना संग्रह कर जाँच हेतु Mitra S. K. Private Limited, Kolkata को भेजा गया। जाँचोपरान्त रिपोर्ट संख्या— MSKGL/FD/2016-17/002124 दिनांक 30.12.2016 द्वारा प्राप्त खाद्य विश्लेषण रिपोर्ट में भेजे गए नमूने को Non conform (Sub Standard) करार दिये जाने के कारण मेसर्स होटल बोधगया गौतम, प्रो० श्री धीरेन्द्र कुमार गौतम, S/O स्व० पन्नालाल सिन्हा, दोमुहान, बोधगया, गया, बिहार के विरुद्ध खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 के तहत मामला सुनवाई हेतु दिनांक 23.05.2017 को न्याय निर्णायक पदाधिकारी, गया के कोर्ट में दाखिल किया गया।
2. मामले की सुनवाई के क्रम में दोनों पक्षों का दलील सुनने के बाद न्याय निर्णायक पदाधिकारी, गया द्वारा खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के धारा 51 के तहत उक्त आरोपित दुकानदार के मालिक के विरुद्ध दिनांक 12.07.2017 को पाँच लाख रुपये (5,00,000/-) का दण्ड अधिरोपित किया गया।
 3. उक्त निर्णय के विरुद्ध खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के धारा 68 (Notes of Clauses) में निहित प्रावधान के तहत खाद्य संरक्षा आयुक्त, बिहार के यहाँ अपील दिनांक 04.08.2017 को किया गया।
 4. अपील की सुनवाई हेतु दिनांक 21.09.2017 समय 11:45 बजे पूर्वाह्न में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य-सह-खाद्य संरक्षा आयुक्त, बिहार के कार्यालय कक्ष में निर्धारित की गई।
 5. उक्त तिथि को ससमय प्रतिवादी श्री धीरेन्द्र कुमार गौतम (प्रोपराइटर) स्वयं उपस्थित हुए।

6. प्रतिवादी के द्वारा बताया गया कि नमूना संग्रह के दिन होटल के रसोई घर में उसी दिन आटा के पैकेट को खोला गया था। खोलने एवं नमूना संग्रह कार्य में लगभग 30 से 45 मिनट का समय लगा था। खाद्य संरक्षा अधिकारी के द्वारा जिस पोलिथिन में नमूना संग्रह किया गया था, उस पोलिथिन में नमूना संग्रह के दौरान ही कुछ नमी (Moisture) आ गयी होगी। माह भी नवम्बर का था, जिसके वातावरण में नमी मात्रा अधिक होती है जिसके कारण ही Moisture की मात्रा 0.83 अधिक पाई गई है। उन्होंने आश्वस्त किया कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी।

7. प्रतिवादी के दलील सुनने एवं अभिलेखबद्ध कागजात का अवलोकन करने के पश्चात् यह पाया गया कि 5,00,000/- (पाँच लाख रुपये मात्र) का दण्ड जुर्म के अनुपात में कुछ ज्यादा है, अतः प्रतिवादी पर खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के धारा 51 के तहत 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का दण्ड अधिरोपित किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि अधिरोपित दंड की राशि आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अंदर कोषागार चालान के माध्यम से मुख्य शीर्ष-0210, चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य, उप मुख्य शीर्ष-80 सामान्य, लघु शीर्ष-800 अन्य प्राप्तिर्थाँ, उप शीर्ष-0003 अन्य मदें, विपत्र कोड- RO210808000003 में जमा कराना सुनिश्चित करें तथा राशि जमा करने के उपरांत कोषागार चालान की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करें। खाद्य कारोबारी को यह भी निदेश दिया जाता है कि खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 (2) (ii) का पालन सुनिश्चित करें अन्यथा भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति होने पर कठोर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

ह०/-

खाद्य संरक्षा आयुक्त,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक.....F.S.C/133/2017/17


पटना / दिनांक 09.10.2017

प्रतिलिपि : मेसर्स होटल बोधगया गौतम, प्रो० श्री धीरेन्द्र कुमार गौतम, S/O स्व० पन्नालाल सिन्हा, दोमुहान, बोधगया, गया, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : खाद्य संरक्षा अधिकारी एवं अभिहित अधिकारी गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : न्याय निर्णायक पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ प्रेषित।

✓ प्रतिलिपि : IT Manager, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।


खाद्य संरक्षा आयुक्त,
बिहार, पटना।